न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 86/2022

उनवान

1. प्रेमदेवी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट नि0 सुरजपूरा, नसीराबाद
––वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1 बाल्या पुत्र मथुरा,
2. रामधन पुत्र अम्बा,
3. कालू पुत्र अम्बा,
4. महेन्द्र पुत्र दीनाराम,
5. बद्रीलाल पुत्र अम्बा,
6. रूकमा पत्नी आम्बा,
7. मांगीलाल पुत्र पूसा, जाति जाट नि. सुरजपुरा, नसीराबाद, (फौत) तर्क
8. उप पंजीयक, नसीराबाद,
9. राज0 सरकार जरियें तहसीलद नसीबाद,

–– प्रतिवादीगण :– 1 से 6 अनुपस्थित
8 व 9 जरियें राज. पैरोकार

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 5/8/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोराझडी में वादीगण की कयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वंकिंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1592	07–04–10	260	0.32
		261	0.85

उपरोक्त आराजी के वंकिंग खसरा नम्बर 1592 रकबा 07–04–10 के खातेदार रामचन्द, मथुरा व धीरा पि. किरतुरा राजरव अभिलेख में खातेदार दर्ज थे। रामचन्द की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 6 कमशः रामधन, कालू, बद्रीलाल, पि. आम्बा व दीनाराम पुत्र आम्बा की मृत्यु हो [illegible] का वारिस महेन्द्र पुत्र दीनाराम तथा रूकमा पत्नी आमबा है। तथा छगना पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु हो [illegible] उसकी पत्नी लादी की भी मृत्यु हो गयी है जिसके कोई वारिस [illegible] का वारिस मांगीलाल है, जो प्रतिवादी संख्या 7 है। मथुरा पुत्र किरतुरा [illegible] संख्या 1 है। धीरा पुत्र किरतुरा की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है। बाल्या पुत्र [illegible] अपना 1/3 हिस्सा [illegible] देवी को दिनांक 28.05.2005 को बैचान कर कब्जा व द[illegible] सौप दिया था। आराजी [illegible] 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मुतनाजा में बाल्या पुत्र किस्तुरा प्रतिवादी संख्या 2 से 7 ने अपना 1/3 हिस्सा वादी को दिनांक 28.05.2005 को बैचान कर दिया था। उक्त विक्रय पत्र द्वारा वादी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग व राजस्व कार्मिको द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के नाम दर्ज कर दिया। तथा पुनः गैर कानूनी तरीके से हाल खसरा नम्बर 250/0.32 व 261/0.85 के बैचानकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के 1/3 हिस्से के स्थान पर 1/5 हिस्सा क्रेता वादी के नाम गलत अंकन कर दिया। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांरण करने पर आमदा हैं। अतः आराजी मुतनाजा के 1/3 हिसे का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल राजस्व अभिलेख मे वादी का 1/5 हिस्सा दर्ज किया गया है। वंर्किग जमाबंदी में तीन सह खातेदार होने के कारण बाल्या का 1/3 हिस्सा बनता है। क्रेता प्रेम देवी का 1/3 हिस्सा दुरूस्त किया जाना उचित होगा। प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकोर की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वंर्किग खसरा नम्बर 1952 रकबा 7-4-10 की आराजी वंर्किग जमाबंदी में छगना, आम्बा, पूसा पि. रामचन्द्र, बाल्या पुत्र मथुरा व धीरा पुत्र किस्तुरा के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी के अनुसार आराजी मुतनाजा रामचन्द्र, मथुरा व धीरा पि. किस्तुरा के नाम दर्ज थी। उक्त आराजी में मथुरा के वारिस बाल्या पुत्र मथुरा का 1/3 हिस्सा निहित है। वंर्किग जमाबंदी में खातेदार का हिस्सा दर्ज नही है किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में विक्रेता का 1/5 हिस्सा दर्ज किया गया है। बाल्या पुत्र मथुरा द्वारा आराजी मुतनाजा वंर्किग खसरा नम्बर 1592 रकबा 7-4-10 में से अपना हिस्सा वादी प्रेम देवी पत्नी रामस्वरूप को बेचान कर दिया था। उक्त विक्रय पत्र की पालना में वादी के नाम नामान्तकरण संख्या 90 दिनांक 07.17.2007 तस्दीक किया गया। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। राज. पैरोकार ने अपने जवाब मे वादी का आराजी मुतनाजा पर 1/3 हिस्सा दिया जाना उचित बताया है। पत्रावली में वाद का कोई खण्डन नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व विक्रय पत्र से वाद के कथनों की ताईद होती है।

अतः ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 260 रकबा 0.32 व 261 रकबा 0.85 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर 1/5 हिस्से के स्थान पर 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

प्रेम देवी बनाम बाल्या

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिलिनयम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 86/2022
पेश करने की दिनाक – 16.06.22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 260 रकबा 0.32 व 261 रकबा 0.85 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर 1/5 हिस्से के स्थान पर 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 8 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:41 IST
Reason: SelfAttested